20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
5रु. कोर्ट फी Rs. COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEE
5रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

53

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक / 2015 पुर्नविलोकन निग - 9051 - I - 16

गजेन्द्र सिंह पुत्र रामसहाय ठाकुर निवासी ग्राम परीक्षत का पुरा मौजां श्यामपुर कलां तहसील पोरसा जिला मुरैना म.प्र. ....आवेदक

बनाम

1. मोहन सिंह पुत्र लज्जाराम
2. मु. कस्तूरीबाई पतनी स्व. लज्जाराम निवासी ग्राम परीक्षत का पुरा मोजा श्यामपुर कला तहसील पोरसा जिला मुरैना
3. रामकरन सिंह पुत्र रसाल सिंह
4. नटवर सिंह पुत्र रसाल सिंह पुरानी बस्ती , किले के पीछे भिण्ड हाल निवासी परीक्षत का पुरा मौजा श्यामपुर कलां तहसील पोरसा जिला मुरैना द्वारा मु.आ. रामसहाय पुत्रमंगल सिंह ग्राम परीक्षत का पुरा मौजा श्यामपुर कलां तहसील पोरसा जिला मुरैना म.प्र.

......अनावेदकगण

श्री आर. एस. सेंगर एड. द्वारा आज दि. 20-4-16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 20-4-16

पुर्नविलोकन आवेदन अंतर्गत धारा 51 म.प्र. भू राजस्व संहिता न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 28/तीन/1999 में पारित आदेश दिनांक 6.11.15 के विरूद्व पुर्नविलोकन आवेदन पत्र आदेश की जानकारी से समयावधि में प्रस्तुत है ।

महोदय,

आवेदक की ओर से पुर्नविलोकन आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

1. यहकि, माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्व एवं अभिलेख के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

अतिम

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 9051/एक/16 जिला –मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
11.1.18	आवेदक की ओर से श्री आर0एस0सेंगर अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2–यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 28/तीन/1999 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 9051/एक/16 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । 3– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 28/तीन/1999 में वर्णित हैं । जिनका निराकरण आदेश दिनांक 06.11.15 से किया जा चुका है। 4– रिव्यु प्रकरण कमांक 9051/एक/16 में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन के जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :–	

प्रकरण कमांक रिव्यू 9051/एक./16

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है। इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य